

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: ०४ फरवरी, 2024

विषय:-जनपद गोरखपुर में दिनांक 07 जनवरी, 2024 को आयोजित आपदा प्रबंधन-अस्पताल सुरक्षा विषयक कार्यशाला पर हुए व्यय के सापेक्ष धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-531/आपदा-2023, दिनांक 27.12.2023 एवं पत्र संख्या-620/आपदा-2023-24, दिनांक 29.01.2024 जिसके माध्यम से कैपेसिटी बिल्डिंग मद में धनराशि रु० 3,15,401/- की मांग की गयी है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गोरखपुर में दिनांक 07 जनवरी, 2024 को आयोजित आपदा प्रबंधन-अस्पताल सुरक्षा पर आपदा प्रबंधन कार्यशाला में हुए वास्तविक व्यय हेतु सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि रु० 3,15,401/- (रुपये तीन लाख पन्द्रह हजार चार सौ एक मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०	मद	धनराशि(रु० में)
1	प्रतिभागी किट-300 अदद (वाटर प्रूफ जूट बैग, पेन, पैड, 14 प्रकार के ए-4 साईज पोस्टर, मैनुअल तथा अस्पताल सुरक्षा विषयक पुस्तिका) पर व्यय।	78,400.00
2	300 प्रतिभागियों तथा आगंतुकों के प्रातः वी०आई०पी० नाश्ता, दोपहर भोजन एवं सायंकाल चाय मय पानी बोतल व आवश्यक मानव एवं भौतिक संसाधनों सहित पर व्यय।	1,58,000.00
3	मा० सांसद, मा० महापौर एवं विभिन्न विश्ववित्तद्यालयों से आये मा० कुलपति, विशेष विशेषज्ञ तथा विशिष्ट अतिथियों कुल-15 व्यक्तियों को वितरित किये गये मोमेन्टो व शॉल पर व्यय।	17,250.00
4	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा एस०जी०पी०जी०आई०, लखनऊ एवं अन्य विषय विशेषज्ञों के हवाई यात्रा, रेल यात्रा एवं प्रयुक्त वाहन तथा मानदेय पर व्यय।	30,501.00
5	कार्यशाला की वीडियो रिकार्डिंग-02 कैमरा व फोटोग्राफी-02 कैमरा तथा लाईव टेलीकास्ट, इंटरनेट स्वीचर आदि अन्य उपकरण पर	21,500.00

	व्यय।	
6	कार्यशाला बैनर, बैक ड्राप (आयरन फ्रेम) तथा 03 अदद स्टैण्डी पर व्यय।	9,750.00
	योग-(रूपये तीन लाख पंद्रह हजार चार सौ एक मात्र)	3,15,401.00

- (1) उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेतर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-11- स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।
- (2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (3) उक्त धनराशि का व्यय एम0एच0ए0 के पत्र सं0-33-03/2020-एन0डी0एम0-1, दिनांक 11.07.2023 द्वारा जारी गाईड लाइन में उल्लिखित अर्ह मानक मदों के अनुसार किया जायेगा।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (5) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।
- (6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013-10-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च 2024 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।
- (8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 3,15,401.00 (रूपये तीन लाख पन्द्रह हजार चार सौ एक मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-51 लेखा शीर्षक 2245058000611 स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

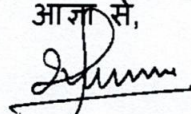
(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- मण्डलायुक्त गोरखपुर, मण्डल गोरखपुर, उ०प्र०।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- विशेष सचिव / नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन ।
- 5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र० ।
- 8- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर, उ०प्र०।
- 9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-09/02/2024

प्रेषण संख्या:- 232
आवंटन आदेश संख्या:- 001-232
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	गोरखपुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	315401 5951593	315401 5951593
	योग	वर्तमान प्रगामी	315401 5951593	315401 5951593

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन लाख पन्द्रह हजार चार सौ एक
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया उनसठ लाख इक्यावन हजार पाँच सौ तिरानवे

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन